>

Title: Regarding Welfare measures for Angandwadi Workersand Anganwadi Helpers.

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, before I call Shri Ritesh Pandey to move his Private Member's Resolution regarding Welfare Measures for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers, the time for discussion on this Resolution has to be allotted by the House. If the House agrees, two hours may be allotted for discussion on the Resolution.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ritesh Pandey may move the Resolution and begin his speech.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, **मैं प्रस्ताव करता हूँ**:

> "कि यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं, महिलाओं, बच्चों और कि शोरों को अनेक स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए -

आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोज़गार को नियमित करना;

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो उनकी समाज के प्रति सेवाओं के योगदान के महत्व को दर्शाए;

आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातायन-व्यवस्था सहित सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवा कर उनका उन्नयन करना; और

देश में किराए पर चलाये जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना ।"

महोदया, मेरा मानना है कि सदन के तमाम जितने भी सांसद यहाँ हैं, आए दिन उनके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का एक जत्था जरूर आता होगा । मांगें करने के लिए कि उनकी जो कार्य व्यवस्था है, जो उनका मानदेय है, इनको और सुदृढ़ किया जाए और उनके हकों की व्यवस्था की जाए ।

महोदया, मेरा यह मानना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाएँ, ये हमारे देश की 36 स्टेट्स और यूनियन टेरीटरीज़ में 10 करोड़ 23 लाख से ज्यादा बेनिफिशयरीज़ को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं और 3 करोड़ 65 लाख 44 हजार 3 से 6 वर्षीय बच्चों को प्री-स्कूल कम्पोनेंट, यानी कि स्कूल जाने से पहले, जो शिक्षा दी जाती है, उसको दिलाने का भी काम करते हैं । यह बहुत ही बड़ा काम है और मेरा मानना है कि यह देश की प्रगति में जो सबसे

बेसिक काम होगा, सबसे निचले पायदान पर जो सबसे जरूरी चीज करने की जरूरत होती है, वह हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तांएँ और सहायिकाएँ जरूर करती हैं । इसलिए उनके हितों को देखना और उनके हितों को सुरक्षित रखना, यह हम लोगों के लिए अति अनिवार्य है कि यह सदन उस पर जरूर विचार करे और चर्चा करे । चर्चा करने के बाद हम एक ऐसे निष्कर्ष पर निकलें, जिससे कि हमारे समाज की बुनियाद को जो मजबूत करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में और उनके कार्यों के लिए सही धनराशि या सही तरीके से उनको कम्पेनसेट कर सकें ।

महोदया, मेरा यह मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में और खास तौर से आंगनवाड़ी के लिए जो कई स्टडीज़ निकल कर आई हैं, उसमें यह बताया गया है कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ हैं, ये ज्यादातर समाज के निचले पायदान से, जो हमारा सोशियो इकनॉमिक स्ट्राटा है, उसका जो निचला और मध्यम वर्ग पायदान है, उससे निकल कर आते हैं । ये उसी इलाके से होते हैं, जिस इलाके में आंगनवाड़ी स्थापित होती है । एक हिसाब से यह उसी समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय की ये सेवा कर रहे होते हैं । उसके साथ-साथ इनकी उम्र करीब 30-50 वर्ष के अंतर्गत होती है । इनकी जो शैक्षिक योग्यता होती है, वह 10वीं पास तक होती है ।

मेरा यह मानना है कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ कई प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करवाती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हों, चाहे वह पोषण के क्षेत्र में हों, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हों । ये सेवाएँ बच्चों को, महिलाओं को और कि शोरियों को दिलाने का काम करती हैं । आंगनवाड़ी वर्कर्स हम लोगों के लिए इतनी बड़ी सुविधा मुहैया कराने का काम करते हैं, इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि इनके हितों को जरूर संज्ञान में लेकर हम कि स तरह से इम्प्रूव कर सकें, उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए । यहाँ तक कि बच्चों, यानी कि चाइल्ड केयर और हाल में ही जो महिलाएँ प्रेगनेंसी से निकलती हैं, उनके पास छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, किस प्रकार से उनकी फीडिंग की जाती है, किस प्रकार से उनको स्वस्थ रखा जाए, उनका टीकाकरण और ये सारी चीजों की जानकारी यही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ करने का काम करती हैं । लेकि न

मेरे संज्ञान में और यहां पर सदन में सभी के संज्ञान में जरूर आया होगा कि इन वर्कर्स की तमाम ऐसी माँगें हैं, जो कि इस देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम कर रही हैं । उनकी ये माँगें हैं, उनका कार्य करने का जो क्षेत्र है, उसको और सुदृढ़ कि या जाए और उसके साथ-साथ उनका जो मानदेय है, उसको नियमित कि या जाए । उस पर हम लोगों को जरूर चर्चा करने की जरूरत है । मैं इस सदन में इस आशा के साथ इस प्रस्ताव को लेकर आया हूँ कि इन वर्कर्स का, जो हमारे देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं, इनका जरूर उत्थान होने का काम होगा ।

अभी 1 अक्टूबर, 2018 से सरकार ने आंगनवाड़ियां का जो ऑनोरेरियम है, उसको 3000 रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है और आंगनवाड़ी हेल्पर का यानी कि सहायिकाओं का 1500 रुपये से बढ़ा कर 2250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है । लेकि न आज की तारीख में ऐसा कोई प्रपोजल कंसीडरेशन में नहीं है, जो इनके ऑनोरेरियम को बढ़ाने की दिशा में फिर से चर्चा में लाया गया हो ।

महोदया, लोक सभा के एक प्रश्न में यह कहा गया था, हमारी आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने यह कहा था कि :

> "… The Anganwadi workers are honorary workers who come forward to render their services on payment of monthly honorarium. In view of the very nature of the role of Anganwadi Workers/Helpers, it is not feasible to declare them as regular/permanent employees…".

मेरा यह सवाल है कि क्या नैतिक रूप से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या नैतिकता के आधार पर जो महिलाएं, जो लोग हमारे समाज के शिशुओं को, हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे समाज की गर्भवती महिलाओं को जो बेसिक केयर देने का काम करते हैं, जो प्राथमिक केयर देने का काम करते हैं,

जो उनको गाइड करने का काम करते हैं, क्या यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके हितों को देखें? क्या इस देश में, जो इतना बड़ा देश है, जिसमें करीब, अभी मैंने यहाँ पर एक फिगर पढ़ी थी कि लगभग 3 करोड़ 65 लाख 44 हजार बच्चों की देखभाल करने वाली ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, क्या हमारा नैतिक धर्म नहीं बनता है कि हम इनके हितों को सुनिश्चित करें? इनके हितों पर चर्चा करके, जो इनकी मेहनत है, इनको उसका सही मानदेय देने का काम करें । मेरा मानना है कि यह अत्यंत जरूरी है कि हम इस दिशा में चर्चा करने का काम करें और इस पर जरूर कोई न कोई सार्थक पहल निकलकर आएगी ।

मैं इस पर यह भी कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या दशा है, इस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए और इस पर थोड़ा प्रकाश हमें जरूर डालना चाहिए । आज की स्थिति में आंगनवाड़ी वर्कर्स पूरी तरह से ओवर वर्क्ड हैं, यानी कि उनके ऊपर कामकाज का बोझ बहुत ज्यादा है । उनको उसके बदले में जो मानदेय दिया जाता है, वह कहीं न कहीं उसके सापेक्ष पूरी तरह से भी सही नहीं बैठता है । वे क्या-क्या करती हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए । मैंने अभी बताया था कि चाहे गर्भवती महिलाओं को पोषण देने की बात हो, चाहे नवजात शिशु को पोषण देने की बात हो, चाहे उनको शिक्षा देने की बात हो, टीकाकरण की बात हो या उसके अलावा भी तमाम और काम आते हैं, जैसे कि इनको 12-12 रजिस्टर मैन्टेन करने पड़ते हैं । इनमें कौन-कौन से रजिस्टर हैं, सर्वे रजिस्टर हो गया, एक उन्मुक्ता यानी कि इम्यूनाइजेशन रजिस्टर हो गया, वे इसे भी मेनटेन करते हैं, एएनसी रजिस्टर को मेनटेन करते हैं, एक रेफरल रजिस्टर होता है, उसको मेनटेन करते हैं और उसके साथ-साथ विजिटर बुक को भी मेनटेन करते हैं । ये सारी चीजें 10वीं पास कि ये हुए हमारे ये वर्कर्स करने का काम करते हैं और इनको भुगतान क्या मिलता है, 4 हजार रुपया, 2,250 रुपया, एक आनरेरियम मिलता है । यह कहीं न कहीं बहुत ही कम है । उसके साथ-साथ, इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स को तमाम और कामों में लगा दिया जाता है । जब सरकार को जरूरत पड़ती है और जायज सी बात है कि जब जरूरत पड़े तो फिर अपने बीच के ही लोग, जो अपने साथ काम करते हैं, उनको आगे बढ़कर के सरकार की मदद करनी चाहिए और

इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती हैं । ये हमेशा आगे आकर काम करते हैं । पल्स पोलियो जैसे प्रोग्राम, जो आज हम इस देश में बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, इनसे पहले वाले मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आज हम यह बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पोलियो से हमारे देश को छुटकारा मिला है और अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, बराबर यह सुनिश्चत करने के लिए कि आगे ऐसा कोई केस न आए । विटामिन 'ए' डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम, इसको भी ये ही आंगनवाड़ी वर्कर्स, सहायिकाएं कर रही हैं । मेरा यह मानना है कि इस पर पुन: हम लोगों को विचार करने की जरूरत है कि इनका जितना भी काम है, जो भी ये मेहनत करते हैं, उसके सापेक्ष क्या हम इन लोगों को उतना सम्मान देने का काम कर रहे हैं या नहीं ।

एक और बड़ी शिकायत इंफ्रास्ट्रक्चर की है, यानी जिन बिल्डिंग्स में वे काम करने जाते हैं या जिन सुविधाओं के अंतर्गत रहकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं काम करती हैं, वह इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ नहीं है, वह अच्छा नहीं है । मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर से तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता हैं, अलग-अलग ब्लॉक्स हैं, कटेहरी ब्लॉक है, जलालपुर ब्लॉक है, भियांव ब्लॉक है, टांडा है, अकबरपुर ब्लॉक है, गोसाईगंज में तारुन ब्लॉक हो गया और गोसाईगंज पर हमारे तीन ब्लॉक हैं, उधर से भी सभी लोग आकर इस बात पर चर्चा जरूर करते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तमाम जगहों पर बिजली नहीं है । मैं अभी कुछ फिगर्स भी दूँगा, तमाम जगहों पर सही तरह से बच्चों को बिठाने की जगह नहीं है ।

वहां पर पोषण देने की बात होती है, पर उसे मुहैया कराने के लिए सही फर्निचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, इसकी बराबर शिकायतें आती रहती हैं । सरकार के अपने डेटा के हिसाब से 18 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं । उसके साथ-साथ 31 प्रतिशत केन्द्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हैं । यहां तक कि 31 प्रतिशत केन्द्रों पर टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है । यह बहुत ही दर्दनाक आंकड़े हैं । इसे देखकर कष्ट होता है । मैं फिर से यह कह रहा हूं कि जहां हम अपने देश की बुनियाद रखने की बात करते हैं,

जहां पोलियो का और दूसरी तमाम बीमारियों का टीकाकरण होता है, जिससे हम लड़ने की बात करते हैं और इस देश को भारी-भरकम बीमारियों से फुर्सत दिलाने की बात करते हैं, अगर ऐसे 31 प्रतिशत केन्द्रों पर पीने का पानी उपलब्ध न हो, टॉयलेट्स न उपलब्ध हों तो यह हमारे लिए बहुत ही दु:ख की बात है । हमें अपने स्तर को उठाने की जरूरत है और इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है ।

इसके साथ-साथ वहां वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स अच्छे से काम कर सकें और वहां जो बच्चे आते हैं, उन्हें सही वातावरण मिल सके । पर, वह भी उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि वहां पर वेंटिलेशन उपलब्ध नहीं है । कर्नाटक में एक शोध हुआ था, जिसमें यह बताया गया है कि 16 प्रतिशत बिल्डिंग्स अभी भी थैच्ड रूफ की हैं यानी वे झोपड़-पट्टी के अन्दर चलाई जाती हैं । उनके ऊपर घास-फूस की छत है । 12 प्रतिशत केन्द्र ऐसे हैं जहां एस्बेस्टस लगे हैं । आज यह जगजाहिर है कि एस्बेस्टस से कैंसर हो जाता है और मरीज सीधे अस्पताल चला जाता है । हम नवजात शिशुओं को एक अच्छा भविष्य देने की बात करते हैं लेकि न अगर हम एस्बेस्टस को नहीं हटाएंगे तो कहीं न कहीं हम उन्हें पोषण देने की बजाय उनके बड़े होने तक उन्हें अस्पतालों का भी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं । हमारे लिए यह एक और चुनौती है, जिसका समाधान हम लोगों को निकालने की जरूरत है ।

छत्तीसगढ़ में करीब 51,384 आंगनवाड़ी केन्द्र ऑपरेशनल हैं, जिसमें से 17,846 दिसम्बर, 2019 तक इलेक्ट्रीफाइड हैं । प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत 97 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे देश में हो गया है, लेकि न वहीं पर 65 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र बहुत ही बैकवर्ड अवस्था में हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में ही अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां तमाम ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है । गर्मी के समय जब पारा 45 डिग्री के पास पहुंचता है तो हमें यह देखने को मिलता है कि लोग वहां बैठ नहीं सकते । एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नवजात शिशुओं को लाया जाए, गर्भवती महिलाएं आएं, लेकि न जब हम वहां पर

सुविधाएं नहीं देंगे, जब वहां पर बिजली की सुविधा नहीं होगी तो इतनी असुविधा में वहां पर कोई कैसे आएगा?

17.59 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

आंगनवाड़ी सहायिकाओं को समाज में को-ऑपरेशन की भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है । उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं । वे घर-घर जाकर इसका क्रियान्वयन करती हैं । वहां पर वे गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पोषण देने का काम करती हैं, लेकि न उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की शिकायत है और मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में ही मुझे ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि लोगों द्वारा, उनके द्वारा दिए गए भोजन और कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें खाने से इसलिए मना कर दिया जाता है कि कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स दलित समाज से आती हैं । ऐसी सोच को भी हमें समाज से हटाने का काम करना है और कि स तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स उसे हैंडल करें, उसकी ट्रेनिंग की भी जरूरत है ।

18.00 hrs

मान्यवर, मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा…(व्यवधान) यह जो रेकमेन्डेशन कॉन्फ्रेंस कमेटी से आया था, Conference Committee on Service Conditions, Wages and Social Security for various categories of Anganwadi workers was included in the 45th Indian Labour Conference. इसके कुछ सुझाव हैं । इसको मैंने अपनी प्रस्तावना में भी मेन्शन कि या था । सबसे पहले इन वर्कर्स को रेकग्नाइज़ड करना चाहिए, वॉलन्टियर की तरह नहीं, मतलब एक स्वयंसेवक की तरह नहीं, बल्कि इनको नियमित करने की जरूरत है ।

दूसरा, इनको मिनिमम वेज देने की जरूरत है । इस देश का जो मिनिमम वेज है, वह इन लोगों को नहीं मिलता है । यह इनको भी मुहैया करवाया जाए । इसके साथ-साथ इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना चाहिए । हम लोग तथा सरकारी कर्मचारियों को जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, उसे भी उपलब्ध कराने की बात हमने इसमें की है । पेंशन, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी लीव बेनिफिट जैसी सारी चीज इनको उपलब्ध करानी चाहिए । उसके साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के लिए आम आदमी बीमा योजना है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है । यह भी आँगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाओं को मिलना चाहिए । आँगनवाड़ी सेंटर को पक्की बिल्डिंग में होना चाहिए और इनको एक अच्छी व्यवस्था में होना चाहिए ।

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट को एक एम्प्लॉइमेन्ट स्टैंडिंग ऑर्डर इन वर्कर्स के लिए रेग्युलेट करना चाहिए, ताकि इनके सर्विस कंडीशंस का समय-समय पर मॉनिटर कि या जा सके । Such workers are kept on contract basis. जो ये वर्कर्स हैं, उनको अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है । इनको संविदा पर रखा जाता है । इनको पूरी तरह से रीटेन कि या जाए । इनको नियमित करने का काम किया जाए ।

मान्यवर, आपने इस चर्चा को यहाँ पर लिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ । मैं आशा करता हूँ कि इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आँगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाओं के कल्याण होने का काम होगा ।

माननीय अध्यक्ष: निशिकांत जी, आप अगली बार कन्टिन्यू कीजिए । आपका नाम आ गया है ।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2020 को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

18.03 hrs

Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock on

Monday, March 23, 2020/Chaitra 3, 1942(Saka)

---

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Sindhi.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi..

* Treated as laid on the Table.

* Moved with the recommendation of the President.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.